10. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
11. ग्रामीण अन्न बैंक।
12. विस्थापित जनजातीय परिवारों का पुनर्वास।
13. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान।
14. सूक्ष्म वन उत्पादन प्रचालनों के लिए राज्य आदिवासी सहकारी निगमों को सहायता अनुदान।
15. अनुसंधान और प्रशिक्षण।

3. अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएं

1. आर्थिक मानदंड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग।
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम।
3. अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करना।
4. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम।
5. मदरसा और मकताब का आधुनिकीकरण।
6. समुदाय पोलीटेकनीक की योजना।
7. केन्द्रीय वक्फ परिसर और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को क्रमशः सामान्य रूप से अन्यों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक व्यक्तियों के शैक्षिक विकास के लिए योजनाओं और शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास की उनकी योजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुदान।

Permanent Office for Dr. Ambedkar Foundation

2112. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Dr. Ambedkar Foundation has sought permanent allotment of Bungalow No. 25, Ashoka Road, New Delhi for housing the office of Dr. Ambedkar Foundation as requested by its Governing Body on 14th September, 1997;

(b) if so, what action has been taken in this regard; and

(c) what arrangement has been made for providing a permanent office to Dr. Ambedkar Foundation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Matter has been taken with the M/O Urban Affairs and Employment for permanent allotment for the Office of Dr. Ambedkar Foundation.

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाएं

2113. **श्रीमती मालती शर्मा:**
प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये बहुत सी कल्याण योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कितनी राशि जारी की गई और कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि खर्च किये जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) (क) जी, हां। देश में और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए बहुत सी कल्याण योजनाएं लागू की जा रही है। केवल उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

(ख) से (घ) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण-I

(रुपए लाख में)

अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं का ब्यौरा

क्र०सं०	योजना	वर्ष	बजट आबंटन	खर्च की गई राशि	उत्तर प्रदेश में खर्च की गई राशि
		1996-97	350	226	—
1.	लड़कों के होस्टल	1997-98	400	353	—
		1998-99	800	665	9.00
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	1200		
2.	लड़कियों के होस्टल	1996-97	350	319	—
		1997-98	400	377	11.00
		1998-99	800	423	11.00
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	1200		
3.	आश्रम स्कूल	1996-97	300	388	—
		1997-98	500	470	—
		1998-99	900	782	175
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	1500		
4.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	1996-97	300	298	—
		1997-98	375	345	—
		1998-99	675	446	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	975		
5.	शिक्षा काम्पलैक्स	1996-97	200	120	—
		1997-98	400	220	19.00
		1998-99	700	225	50.00
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	700		
6.	ग्रामीण बैंक	1996-97	150	150	1.92
		1997-98	180	180	—
		1998-99	300	180	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	300		
7.	आदिवासी उपयोजना के प्रति विशेष केन्द्रीय सहायता	1996-97	33,000	33,000	90.39
		1997-98	33,000	32961	112.91
		1998-99	38,000	29308	57.54
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	40,000		

विवरण-II

अनुसूचित जातियों के लिए योजनाओं का ब्यौरा

(रूपए लाख में)

क्र०सं०	योजना	वर्ष	बजट आबंटन	उ०प्र० में खर्च की गई राशि
1.	विशेष संघटक योजना	1996-97	275.00	59.20
	के प्रति विशेष	1997-98	308.41	—
	केन्द्रीय सहायता	1998-99	361.00	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	437.00	
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	1996-97	18.00	20.70
		1997-98	54.16	70.54
		1998-99	100.00	62.16
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	135.00	
3.	सिविल अधिकार संरक्षण और अत्याचार	1996-97	—	—
		1997-98	16.31	—
		1998-99	15.50	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	25.00	
4.	अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए होस्टल	1996-97	15.88	—
		1997-98	15.05	—
		1998-99	19.00	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	20.00	
5.	एन०एस०एफ०डी०सी०	1996-97	—	—
		1997-98	20.23	—
		1998-99	81.00	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	30.00	
6.	एस०सी०डी०सी०	1996-97	—	—
		1997-98	45.00	—
		1998-99	60.00	
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	20.00	
7.	एनएसकेएफडीसी	1996-97	—	—
		1997-98	4.75	—
		1998-99	10.00	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	20.00	
8.	पुस्तक बैंक	1996-97	1.83	—
		1997-98	1.50	
		1998-99	2.00	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	2.50	

क्र०सं०	योजना	वर्ष	बजट आबंटन	उ०प्र० में खर्च की गई राशि
9.	सफाई कर्मचारियों	1996-97	90.00	—
	की मुक्ति	1997-98	90.00	—
	और पुनर्वास	1998-99	20.00	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	70.00	
10.	मैट्रिक-छात्रवृत्ति	1996-97	1.26	2.01
		1997-98	2.00	—
		1998-99	4.00	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	7.50	
11.	गैर सरकारी संगठनों	1996-97	—	—
	को सहायता	1997-98	10.03	—
		1998-99	18.00	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	30.00	
12.	कोचिंग तथा सम्बद्ध	1996-97	1.07	—
		1997-98	1.71	2.45
		1998-99	3.00	0.09
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	4.00	
13.	अ०जा० / अ०ज०जा०	1996-97	—	—
	(अनु० एवं परिक्षण)			
	की अखिल भारतीय	1997-98	0.33	—
	स्वरूप की परियोजना	1998-99	0.50	
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	0.50	
14.	विशेष शिक्षा विकास	1996-97	—	—
	कार्यक्रम	1997-98	0.15	—
		1998-99	0.70	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	2.00	
15.	अ०जा० / अ०ज०जा० के	1996-97	0.16	—
	छात्रों का कौशल	1997-98	0.76	0.33
	उन्नयन	1998-99	1.00	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	1.50	
16.	अम्बेडकर प्रतिष्ठान	1996-97	—	—
		1997-98	40.00	—
		1998-99	40.00	—
	प्रस्तावित परिव्यय	1999-2000	00.00	

नोटः—जैसा कि 12.3.1999 को 2.30 बजे पूर्वाह्न अनुसूचित जाति प्रभाग द्वारा सूचना दी गई है।